इंटरनेट की दुनिया में हो रहे महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध

एम. फिल. (स्त्री अध्ययन) उपाधि हेतु प्रस्तुत

(संक्षिप्त रूपरेखा)

सत्र : 2016-17

ज्ञान शांति मैत्री

शोध-निर्देशक

डॉ.अवंतिका शुक्ला

सहायक प्राध्यापक

स्त्री अध्ययन विभाग

शोधार्थी

रेखा अहिरवार

एम. फिल. (स्त्री अध्ययन)

रजिस्ट्रेशन नं. 2016/03/212/013

स्त्री अध्ययन विभाग

संस्कृति विद्यापीठ

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र) भारत

इंटरनेट की दुनिया में हो रहे महिला साइबर अपराध

भूमिका-

इंटरनेट की दुनिया विशाल है जिसका नेटवर्क संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। आज शिक्षित लोगों के द्वारा इंटरनेट का उपयोग अधिकाधिक किया जा रहा है। अर्थात् जाने अनजाने में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इंटरनेट का उपयोग अपने दैनंदिन जीवन में कर रहा है। जब इंटरनेट का विकास हुआ तो उसके साथ-साथ ही अनेक सोशल साइट जैसे-फेसबुक, ह्वाट्सऐप, ट्विटर, आदि का भी विकास हो रहा है। इन सोशल साइटों का इतनी तेजी से प्रचार हुआ है कि आज शायद ही कोई युवा बचा हो जो इनका उपयोग न कर रहा हो। इन साइटों के माध्यम से देश-विदेश की सूचनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से पहुंच रही हैं। जहां इन सोशल साइटों का मानव दुनिया में फायदा है, वहीं इनसे बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं। इन अपराधों में सबसे ज्यादा महिलाएं शिकार हो रही हैं, उनमें भी युवा लड़कियां। फेसबुक या फिर ह्वाटसऐप पर हो रहे अपराध आए दिन हमें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं। कुछ अपराध तो हमें पढ़ने या सुनने को मिल जाते हैं पर बहुत से महिला साइबर अपराध सामने नहीं आ पाते या आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन अपराधों को कैसे रोका जाय या कैसे कम किया जाय, को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार द्वारा समय-समय पर इनके रोकथाम के लिए एक्ट व नियम-कानून भी बनाये जा रहे हैं पर इनका कुछ खासा असर नहीं दिख रहा है। इन अपराधों की जांच-परख के लिए प्रशिक्षित अन्वेषकों तथा निर्णय करने वाले न्यायधीशों की नियुक्तियाँ की जा रही है, जिससे इन अपराधों से निपटा जा सके।

साइबर क्राइम में महिला मुख्य पर बिंदु होती है क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में नारी की अपनी निजी कोई पहचान अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। विभिन्न जगहों पर महिलाओं कोकमज़ोरर या फिर दब्बू किस्म का माना जाता है। साथ ही मानसिकता यह बना ली जाती है कि इनके साथ चाहे जितना ज़ोर-ज़बरदस्ती, अत्याचार या फिर जुल्म करो ये घर के बाहर विद्रोह नहीं करेंगी। समान्यत: देखा यह गया है कि महिलाएं घर कि शान मानी जाती हैं। इन्हें देवी या फिर गृह लक्ष्मी का स्थान दिया जाता है। परंतु वहीं देवी या लक्ष्मी जब अपने ऊपर हो रहे इन खोखले आडंबर, परंपराओं, रूढ़िवादी अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं या इन सड़ी-गली मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह करती हैं तो उससे देवी या लक्ष्मी की पदवी छीन ली जाती है और इन्हें तरह-तरह के नामों से संबोधित किया जाने लगता है। इतना ही नहीं इन्हे परिवार या समाज से दूर रहने के लिए भी विवश किया जाने लगता है।

सोशल साइटों पर आज-कल कई तरह के अपराध देखने को मिल रहे हैं। कभी-कभी अपराधी द्वारा युवतियों के , ट्विटर, व्ह्ट्सप या फिर ई-मेल. एकाउंट को हैक कर लिया जाता है। फिर उसके एकाउंट से अश्लील या भद्दे मज़ाक भरे संदेश दूसरे लोगों तक भेजे जाते है। या फिर अपराधी द्वारा महिलाओं को लुभावने संदेश भेजकर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाता हैं। जब तक महिलाएं कुछ समझ पाएँ उससे पहले उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लिया जाता हैं। इतना ही नहीं फेक यूजर आई. डी. के माध्यम से भी आज बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। किसी महिला का उसके एकाउंट से उसका फोटो लेकर उसे एडिट कर अपराधी द्वारा अपनी नयी प्रोफाइल के तौर पर इस्तेमाल करता है।

उदाहरण के तोर पर एक केस को देखा जा सकता है जैसे कि मुंबई की 35 वर्षीया मोनिका शर्मा (बदला हुआ नाम) के साथ सोशल साइट पर किसी ने मोनिका का फेसबुक (एफबी) अकाउंट हैक कर लिया और उनक नाम से उनके ऐसेदोस्तों-रिश्तेदारों को मैसेज करने लगा जिनसे मोनिका शायद ही कभी बात करती थी। मोनिका कहती हैं, "कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं काफ़ी दिनों से एफबी अकाउंट चेक नहीं कर पाई। क़रीब 15 दिन बाद जब मैंने लॉगिन किया, तो मेरे एक कॉलेज फ्रेंड के अजीब से मैसेज ने मेरे होश उड़ा दिए। उन मैसेज को देखकर लग रहा था कि मेरी उससे लंबी बातचीत हुई है। जब मैंने उसे बताया कि मैंने उससे बात नहीं की, तो वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ और उसने वो पूरा चैट मुझे भेजा जिसमें किसी ने मेरे नाम से उससे बात की थी। वो चैट इतना अश्लील था कि देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यदि मेरे पति समझदार नहीं होते तो उस चैट को देखकर तो हमारा रिश्ता टूट ही जाता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया पर मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है. इस वाक़ये के बाद मैं बहुत परेशान और डिप्रेस्ड हो गई। अब मैंने अपना न सिर्फ फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया है, बल्कि हर तरह के सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। हालांकि ये आसान नहीं है, आज सोशल मीडिया साइट्स जैसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, उनसे दूर रहने पर लगता है जैसे मैं दुनिया से कट गई हूं, मगर इस हादसे ने मुझे इस क़दर डरा दिया है कि शायद अब मैं दोबारा सोशल साइट्स से न जुड़ पाऊं।"[i]

कभी-कभी अपराधियों द्वारा निजी जनकारियों को भी एकत्रित किया जाता है। दिनचर्या की गतिविधियों पर नजर रखते हैं तथा ई-मेल. के माध्यम से पीछा करते हैं, जिसे साइबर अपराध की भाषा में 'साइबर स्टाकिंग' कहते हैं। 'साइबर बुलिंग' भी इसी अपराध की श्रेणी में शामिल है।

साइबार अपराध ऐसा अपराध है, जिसमें अपराधी को पकड़ पाना अत्यंत मुश्किल का काम होता है। इस विषय में 'उन्मुक्त' पत्रिका के एक लेख 'साइबर कानून और साइबर अपराध' के

अनुसार अपराधी यह सोचकर अपराध करते हैं कि वे अज्ञात होकर अपराध करेंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे, पर यह सत्य नहीं है। बड़ी मसक्त करने के बाद अपराधी को पकड़ा जा सकता है।

पीटर स्टेनर ने न्यूयार्क में एक कार्टून निकाला था। यह कार्टून अपने आप में मिल का पत्थर था। इस चित्र में दो कुत्ते कंप्यूटर पर बैठे हैं। वह कुत्ता जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है। वह दूसरे से कहता है कि 'On the Internet Nobody Knows That You are a dog' अंतराजाल पर कोई नहीं जानता कि आप कुत्ते हैं। लेकिन यह इंटरनेट का विरोधाभास है, धोखा है। यहीं साइबर क्राइम की जड़ है। लोग समझते हैं कि वे अंतराजाल पर अज्ञात रहकर अपराध कर सकते हैं। लेकिन यह सत्य से परे है। सत्य तो यह है कि 'On the Internet, Everybody Knows That You are a dog.'

महिला साइबर अपराध कि घटना के पीछे जानकार व्यक्ति का हाथ होता है। जिसमे अनजान मित्र, परिवार का बाहरी सदस्य या फिर जो आपको कहीं न कहीं से जनता हो, शामिल होता है। हाल ही में प्रचलित 'सेल्फी' लेना व्यक्तियों की रुचि बन गया है। साथ ही साथ ग्रुप फोटो लेना तथा तथा सोशल साइटों पर उस फोटो को अपलोड करना ज्यादा प्रचलन में आता जा रहा है। साइबर अपराधियों द्वारा इन्हीं फोटोग्राफ़ों को इडिट करके साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता है। आज के इस वैज्ञानिक दुनिया मे हर कम से कम समय में सफलता की बुलंदियों को छूना चाहता है। इसलिए स्वयं के पहचान का पिपासु सोशल साइटों के माध्यम से अपने-आप को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए कई समूहों का निर्माण तथा अधिक से अधिक समूहों में जुड़ना पसंद करता है। और हजारों की संख्या मे सोशल साइटों पर अपना मित्र बनाना चाहता है। इन मित्रों में अधिकतर महिलाएं शामिल होती हैं।

किसी दूसरे शख्स की पहचान से जुड़े डेटा, गुप्त सूचनाओं वगैरह का इस्तेमाल करना भी साइबर अपराध है। यदि कोई इंसान दूसरों के क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डिजिटल आईडी कार्ड, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह का इस्तेमाल करके शॉपिंग या धन की निकासी करता है तो वह इस अपराध में शामिल हो जाता है। जब आप किसी दूसरे शख्स के नाम पर या उसकी पहचान का आभास देते हुए कोई जुर्म करते हैं, या उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, तो यह जुर्म आइडेंटिटी थेफ्ट के दायरे में आता है। ऐसा करने वाले पर आईटी (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43, 66 (सी), आईपीसी की धारा 419 लगाए जाने का प्रावधान है। जिसमे दोष साबित होने पर तीन साल तक की जेल या एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

आज महिला साइबर क्राइम एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है। लगातार महिलाएं इस समस्या से दो-चार हो रही हैं जो कि एक बेहद खतरनाक स्थिति समाज में पैदा हो रही है। हालांकि

सुरक्षा एजेंसियां तेजी से बढ़ते इन अपराधों को रोकने और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। इन हालात का प्रभावी तरीके से मुक़ाबला करने के लिए जरूरी है जागरूकता। महिलाओं के बीच उन अपराधों और आपराधिक तरीकों को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है।

देवरती हलदर ने अपनी पुस्तक 'Cyber Crime against in India' में साइबर अपराध का शिकार सबसे ज्यादा महिलाओं को माना है। वे कहते हैं सोशल साइटों महिलाओं को निशाना बनाकर अपराधी आसानी से अपने गिरफ्त में ले लेता है। साइबर अपराध के प्रकारों का उल्लेख करते लिखते हैं कि साइबर स्टाकिंग यानी साइयबर वर्ल्ड में पिछा करना या पीछे से हमला करना, बार-बार टेक्स्ट मैसेज भेजना, मिस्ड कॉल करना, बार-बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, स्टेटस अपडेट पर नज़र रखना, इंटनेट मॉनिटरिंग इसी अपराध की श्रेणी में आते हैं।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स खूब चलन में हैं। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, ई-मेल, चैट वगैरह के जरिए महिलाओं को तंग करने के मामले अक्सर सामने आते हैं। धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में महिलाओं को परेशान करना, बदनाम करना महिला साइबर अपराध के दायरे में ही आता है।

साहित्य पुनरावलोकन-

किसी भी विषय मे शोध करने के लिए उस विषय पर पूर्व लिखित सामग्री का अध्ययन करना अंत्यन्त आवश्यक होता है। साइबर महिला अपराध चूंकि अभी एक नया विषय है इसलिए इस विषय पर ज्यादा लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। फिर भी इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न विद्वानों के लेखों तथा पुस्तक व पत्र-पत्रिकाओं में लेखों, घटनाओं का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि महिला साइबर अपराध की समस्या का बहुत ही तेजी से विस्तार हो रहा है। पिछले वर्ष 4 अक्टूबर 2016 को दैनिक भास्कर न्यूज पेपर मे नंदिता झा का 'सोशल मीडिया के अपराध और कानून' नाम से एक लेख छपा था। इस लेख मे नंदिता झा ने लिखा था कि "आए दिन ह्वाट्सऐप पर अश्लील या अपमानजनक मैसेज के मामले सामने आते रहते हैं। देश में पिछले कुछ समय से इस तरह के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। साइबर क्राइम बढ़े हैं। हालांकि इसके लिए कानून भी हैं, फिर भी लोगों को इस संबंध मे जानकारी कम है। कई लोग मोबाइल का गलत स्विच दबाकर इसकी चपेट में आ जाते है।"

इससे ज्ञात होता है कि 'महिला साइबर अपराध' तेजी से बढ़ रहा है। महिला साइबर अपराध पर अब तक विभिन्न पुस्तकें व शोध लिखे जा चुके हैं; जिसका विवरण नीचे है-

1. **Cyber crimes against women in india:Debarati haldar, K. Jaisankar**

   देवरती हलदर की पुस्तक में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार साइबर अपराध विदेश में ही नही बल्कि भारत जैसे देश में तेजी से फैल रहा है। वर्तमान समय में कई केस सामने आए हैं जिसमे महिला को ही शिकार बनाया जाता है क्योंकि वह बाहर जा कर विद्रोह नहीं करती। इसके पुस्तक के अंतर्गत कई प्रकार के साइबर अपाराधों को दर्शाया गया है। जैसे;

   (A) साइबर स्टाकिंग

   (B) मोफिंग

   (C) ई-मेल. स्पूफिंग

   (D) साइयबर पोर्नोग्राफ़ी

   (E) ई-मेल के द्वारा हरासमेंट

   (F) साइबर बुलिंग

इसके साथ ही इस पुस्तक में भारत में घटित होने वाली प्रथम घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जून 2000 में रितु कोहली नाम की महिला ने साइबर स्टाकिंग का केश दर्ज कराया और बताया कि अपराधी उसके ई-मेल तथा मोबाइल नंबर को गलत रूप से इस्तेमाल कर रहा है। यह अपने आप में एक नया केश था, जिसका निर्णय लेना कठिन कार्य हो गया , पीड़िता का अपराधी से क्या संबंध है साथ ही उसका दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार कैसा है। सम्पूर्ण जानकारी के आधार पर दोषी पाये गए व्यक्ति को तीन महीने की सज़ा सुनाई गई।

इन्टरनेट की दुनियाँ मे महिला को भोग-विलास की छवि के रूप मे पेश किया जाता है साथ ही अपराधियो के लिए स्त्री केंद्र बिन्दु होती है। पारिवारिक जीवन में साइबर अपराध का महिला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है क्योकि रूढ़िवादी समाज मे नारी को वस्तु के रूप में देखना स्वाभाविक माना गया , अगर वह आवाज़ उठाती भी है तो यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि इसका प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यो पर पड़ेगा।

देवरती हलदर ने अपनी पुस्तक **'Cyber Crime against in India'** में साइबर अपराध के कई प्रकारों कि चर्चा की है; जैसे-

- ईमेल भेजकर हैरान (उत्पीड़ित) करना। इसमें बदमाशी, धोखा और धमकी देना शामिल है। ऐसा अक्सर फर्ज़ी आईडी से किया जाता है।
- साइबर स्टॉकिंग नए तरह का अपराध है। स्टॉकिंग का मतलब होता है छिपकर पीछा करना। साइबर स्टॉकिंग में विक्टिम (पीड़ित) को मैसेज भेजकर, चैट रूम में प्रवेश करके और ढेर सारे ईमेल भेजकर उसे परेशान किया जाता है।
- अश्लील फोटो, मैग्ज़ीन, वेबसाइट आदि बनाकर महिलाओं को मेल करना।
- ईमेल स्पूफिंग- किसी दूसरे व्यक्ति के ईमेल का इस्तेमाल करते हुए ग़लत मकसद से दूसरों को ईमेल भेजना इसके तहत आता है। इस तरह के ईमेल के ज़रिए अक्सर पुरुष अपनी 2। अश्लील फोटो महिलाओं को भेजते हैं, उनकी सुंदरता की तारीफ़ करते हैं, उन्हें डेट पर चलने के लिए कहते हैं, यहां तक कि उनसे सर्विस चार्ज भी पूछते हैं।
- इनके अलावा एमएमएस और चैट के माध्यम से अश्लील संदेश भेजे जाते हैं, जिसमें कई बार पीड़ित महिला का चेहरा किसी अश्लील ड्रेस वाली महिला की फोटो पर होता है, तो कभी न्यूड फोटो पर उनका चेहरा रहता है।

2. सुशीला मदान ने अपनी पुस्तक Cyber Crimes and Laws मे लिखती हैं कि यदि अनचाहे ई-मेल कोई भेजता है या अनचाहा पीछा के दौरान अनचाही बातें करना, इस हद तक घूरना कि दूसरा खीज जाये, डर जाय, चित्रों को बदल कर किसी अन्य का चित्र लगा देना, यह सब अशलीलता के अन्दर आता है। इस तरह के साइबर अपराध सबसे अधिक हैं।

3. **Globlisation and its impact on cyber crime : A case study of Indian police administration -Anupam Sharma**

   इस पुस्तक में वैश्विकरण के दौर में साइबर अपराध का मनुष्य के जीवन पर पड़ रहे प्रभाव को एक केस स्टडी के माध्यम से दिखाया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करके लेखक ने साइबर क्राइम की परिभाषा और उसके बढ़ते प्रभाव को दिखाया है। साथ ही पुलिस प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट किया है।

4. **Cyber crimes Notorious aspects of the human and the net : Yogesh barua, Denzyl. P.Dayal**

इस पुस्तक में लेखक ने साइबर क्राइम जैसे बढ़ती सामाजिक समस्या को लेकर चिंतित है। लेखक कहता है कि साइबर क्राइम जितना लाभकारी है उतने ही इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। मनुष्य आज इंटनेट से किस प्रकार से जुड़ता जा रहा है इस बात पर विस्तार से चर्चा की है।

5. **Voilence against women via cyber space : Anita Gurumurthy**

लेखिका ने इंटरनेट पर हो रहे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को इस पुस्तक में दर्शाया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के महिला साइबर हिंसा को केंद्र में रखते हुए विभिन्न तरह के केसों का जिक्र किया है। तथा इसका प्रभाव महिला पर किस तरह से अधिक होता है, इस बात को भी ध्यान में रखा है।

6. **There's more to net then Cyber porn : Shohini Gosh**

कामवसना के लिए उत्तेजित करने वाले यौन क्रियाओं का वर्णन करने के लिए महिलाओं को पुस्तकों, पत्रिकाओं, फिल्मों आदि में कैसे उपयोग किया जाता है को दिखाया है। विभिन्न सोशल साइटों पर उपलब्ध महिलाओं के चित्रों/फोटो को अपराधी द्वारा चुरा कर उसमें एडिटिंग करके अश्लील विडियो बनाने जैसे मुद्दों को उठाया गया है।

7. **Crime of the Internet : Frank Schmalleger, pittaro**

इस पाश्चात्य विचारक ने अपनी पुस्तक 'क्राइम ऑफ द इंटरनेट' में बताया है कि इंटनेट आज के समय में क्राइम का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। आज की इस वैज्ञानिक दुनिया में प्रत्येक इंशान लगभग अपने दैनिक जीवन में इंटनेट का उपयोग कर रहा है। बैंकिंग से लेकर अपनी पहचान आई. डी. भी इंटनेट पर उपलब्ध रखता है, जहां से अपराधी उससे जुड़ी जानकारी को उठाकर उसे गलत जगह पर इस्तेमाल करता है।

8. **Cyber Crimilogy : K. Jaishankar**

इस पुस्तक में के. जयशंकर ने अपराध शास्त्र की विस्तृत चर्चा किया है। एक अपराधी द्वारा किस-किस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं, को बताते हुए उसके आपराधिक प्रवृत्ति के उजागर होने की बात भी कही है।

9. **Cyber crime: Current perspective form : Michael Pittaro**

वर्तमान समय में साइबर क्राइम जैसी समस्या को समझने के लिए इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण दिए गए हैं। साइबर क्राइम को परिभाषित करते हुए अलग-अलग विचारकों के मत और उनके समाधान की चर्चा की है। इसके साथ ही साइबर क्राइम वर्तमान समय में किस प्रकार तेजी से फ़ेल रहा है, साथ ही इस पुस्तक में अपराधियों की जानकारी प्राप्त करना भी सरल नहीं, की बात बताई है।

10. **Policing Cyber Crime : Petter Gottschalk**

इस पुस्तक मे लेखक ने साइबर क्राइम करने वाले की विभिन्न नीतियों का विस्तार से पाठक के सामने रखने का प्रयास किया है। साइबर कानून और उसके नियम किस तरह काम करते हैं, इस बात की ओर भी इशारा किया गया है।

साइबर क्राइम पर हुए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालयों में विभिन्न शोध-

11. **Cyber space and security : Prakash ,Sandlas**
12. **Cyber –space aur media : Sudhish pachauri**
13. **Cyber resistence:Saudi opposition between globalization : Fandy Mamoun**
14. **Cyber terrorism:political and economic implication /Andrew**
15. **Cyber space and international relations:theory, prospects and challenger : Jan-Fraderik Kremer**

साइबर क्राइम पर दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए शोध-

16. **Introduction to cyber crime investigation : V. P Srivastav**
17. **Cyber crime:Combat strategies : R S Prasad**
18. **Challenges faced by law admnnistreting agencies in relation with cyber crime:A study : Krisan dev pachauri**
19. **Cyber crime security and digital intelligence : Mark Johnson**
20. **Cyber crime and cyber terrorism : Akhgar Babak Ed. ; Staniforth Andrew Ed. ; Bosco Francesca Ed.**

21. **Combating cyber :a critical analysis of existing laws in India : Namitm kumar Shrivastava**
22. **Saibar vidhi ek prichay :Dr. jay prakash mishar**

इनके अलावा महिला आयोग के आकड़ों के अनुसार सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिये महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध की शिकायतें पिछले साल की तुलना में बढ़ी हैं। इस साल अगस्त तक फोटो से छेड़छाड़, फर्जी पहचान के धोखाधड़ी, भद्दे संदेश और पोर्नोग्राफ़ी की 20 शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंची हैं। जबकि वर्ष 2013 में केवल चार शिकायतें ही आयोग के पास पहुँची थी। आयोग ने साइबर सेल को नोटिस जारी कर इन शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए कहा है। आयोग के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस तरह से साहित्य पुनरावलोकन जरिये हमें यह पता चलता है कि सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम की शिकार होने वाली मोनिका कोई पहली शख़्स नहीं हैं, कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसकी वजह से कुछ को अपने रिश्ते, तो कुछ को ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ा है। सोशल साइट्स के ज़रिए होने वाले अपराधों की तादाद दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कभी किसी महिला की फोटो से छेड़खानी की जाती है, तो कभी उसे अश्लील मैसेज भेजकर परेशान किया जाता है। बावजूद इसके हम इन साइट्स का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा मानकों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

इस तरह से महिला साइबर क्राइम पर अभी कम पुस्तकें लिखी गई हैं, फिर भी उपलब्ध सामाग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साइबर क्राइम देश में बहुत तेजी से अपना पैर पसार रहा है। आए दिन नित नई-नई घटनाएं न्यूज पेपरों, पत्रिकाओं तथा विचार-गोष्ठियों में सुनने को मिल रहा है।

शोध की प्रासंगिकता-

किसी भी शोध का महत्त्व तब होता है, जब उसका वर्तमान समय में लाभ हो। महिला साइबर अपराध दिन-प्रति दिन तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए अपराध के बारे में जानने तथा इस अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि भारत में जनसंख्या का स्तर विश्व में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। इतनी बड़ी जनसंख्या और उस पर भी भारत 'डिजिटल इंडिया' की तरफ अग्रसर हो रहा है। आज विकसित देशों की

तरह भारत में भी अधिकाधिक काम कंप्यूटर के द्वारा सम्पन्न हो रहा है। ऐसे में जहां कंप्यूटर के अनेक फायदे हैं वहीं पर नुकशान भी है। आज हर व्यक्ति के पास एंड्रायड मोबाइल उपलब्ध है, जिसके द्वारा हर व्यक्ति सोशल साइटों के द्वारा एक-दूसरे से जुड़ा है। इन सोशल साइटों के द्वारा अपराध भी हो रहे हैं। इन अपराधों में 16 से 35 वर्ष की महिलाओं को ज्यादा निशाना बनाया जाता है। जो की कहीं किसी ऑफिस में काम कर रही होती हैं, स्कूल छात्रा होती हैं या फिर घरेलू कामकाजी महिलाएं होती हैं, जिन्हें इंटरनेट की जानकारी होती है, परंतु प्राइवेसि कैसे की जाय, इसका ज्ञान नहीं होता। या फिर अनजाने में गलतियाँ कर बैठती हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। अत: इस शोध की प्रासंगिकता तब और बढ़ जाती है, जब भरातीय महिलाओं के सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल हो।

शोध-प्रश्न-

1. 'महिला साइबर अपराध' क्या है?
2. साइबर क्षेत्र में महिला अपराध कितने प्रकार के होते हैं? इसका कारण क्या है?
3. वर्तमान समय में साइबर अपराध के अंतर्गत महिलाएं ही क्यों टारगेट बनती हैं?
4. सोशल मीडिया में महिला यौन हिंसा का स्वरूप क्या है?
5. सोशल साइट्स जैसे; फेसबुक, ट्विटर, हवाट्सप आदि से अपराध किस तरह होते है।
6. साइबर अपराध से पीड़ित महिला मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक,आर्थिक रूप से प्रभावित होती है।
7. साइबर अपराध से पीड़ित महिला के लिए कानून व सुझाव क्या है।

शोध का उदेश्य-

- इस शोध का उद्देश्य साइबर महिला अपराध के गंभीर मुद्दे को उठाना है।

- साइबर महिला अपराध कितने प्रकार के होते हैं, यह भी इस शोध के द्वारा बताना है।
- समाज में नेटवर्किंग का क्षेत्र विशाल है, जहां अनेक प्रकार के काम होते हैं। इन कामों में कुछ सही तो कुछ गलत भी होते हैं। गलत काम को ही साइबर अपराध की संज्ञा दी जाती है।
- हमारे इस शोध का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी देना है, खासकर महिलाओं को।
- साथ ही इस शोध के माध्यम से यह भी बताना है कि साइबर अपराधी किस तरह से महिलाओं को अपने गिरफ्त में लेता है, जिससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। साइबर क्राइम की शिकार महिलाएं बहुत देर तक अपने प्रति हुए अपराध का विरोध नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण बाद में जब पता चलता है तब तक अपराधी अपने बच निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है।
- अत: इस शोध के द्वारा महिलाओं को यह बताना है कि अपराध को सहन नहीं करना है। अगर आप के साथ किसी भी तरह का सोशल साइट पर छेड़-छाड़ होता है तो इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दें, जिससे अपराधी को आसानी से पकड़ा जा सके।
- वर्तमान समय में महिला साइबर अपराध के अंतर्गत अधिकतर महिलाएं ही क्यों शिकार बनती है, इस जानकारी को भी हासिल करना है।
- इन अपराधों के रो-थाम के क्या उपाय हो सकते हैं, अपने इस शोध के माध्यम से बताना है।

शोध-क्षेत्र-

साइबर महिला अपराध दिल्ली जैसे महानगर में अत्यधिक देखने को मिलता है। यहाँ दूर-दूर से बच्चे कालेजों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते हैं। इनमें लड़कियां भी शामिल होती हैं। चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी के साथ-साथ

शिक्षा का एक बड़ा केंद्र भी है। यहाँ के लोग तकनीकी साधनों का अधिकाधिक उपयोग कराते हैं।

अत: इस शोध-क्षेत्र के रूप में दिल्ली है और उसमें भी दिल्ली में स्थित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को शामिल किया जाएगा। इस क्षेत्र में महिलाओं के साथ घट रहे साइबर अपराध को शोधार्थी के द्वारा जाँचना परखा गया है।

शोध-प्रविधि-

इस शोध में शोधार्थी के द्वारा गुणात्मक, मात्रात्मक शोध प्रविधियों के साथ-साथ साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली जैसी शोध प्रविधि का उपयोग किया गया। आकड़े एकत्रित करने में प्राथमिक व द्वितीयक दोनों स्रोतों को शामिल किया गया। मूल पुस्तक, अनुवादित पुस्तक, जनरल, शोध-पत्र, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ तथा साइबर महिला क्राइम से संबंधित वेवसाइटों, फिल्मों के माध्यम से आकड़ों को प्राप्त करने की कोशिश की गई।

शोध-सीमा-

इस शोध-कार्य को भारतीय और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया। महिला साइबर अपराध इस शोध के केंद्र में हैं। साथ ही सोशल साइड जैसे, फेसबुक, हवाट्सप, ट्विटर आदि के माध्यम से हो रहे अपराध जिनमें कॉलेज, विश्वविद्यालयों तथा कार्यस्थलों पर कार्यरत महिलाओं को शामिल किया गया। इस शोध में सामन्यत: पीड़ित महिलाओं को सम्मलित करने का प्रयास किया गया। मेरे लघु शोध प्रबंध में बहुत सीमित संख्या में महिलाओं ने अपने से जुड़ी जानकारी दी।

अध्याय विभाजन

भूमिका

प्रथम अध्याय : महिला साइबर अपराध क्या है?

1.1- महिला साइबर अपराध की अवधारणा एवं स्वरूप

1.2- महिला साइबर अपराध के प्रकार

1.3- सोशल मीडिया पर महिला अपराध के कारण

द्वितीय अध्याय : सोशल मीडिया में महिला साइबर अपराध का स्वरूप

2.1- फेसबुक पर महिला साइबर अपराध का स्वरूप

2.2- वॉट्सअप पर महिला साइबर अपराध का स्वरूप

तृतीय अध्याय : साइबर अपराध से पीड़ित महिलाओं की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव

3.1- मानसिक प्रभाव

3.2- सामाजिक प्रभाव

3.3- पारिवारिक प्रभाव

3.4- आर्थिक प्रभाव

चतुर्थ अध्याय : साक्षात्कार अनुसूची एवं सारणीयन विश्लेषण

4.1.सोशल मीडिया में महिला यौन हिंसा का स्वरूप

पंचम अध्याय : साइबर अपराध से पीड़ित महिलाओं सुझाव एवं कानून

5.1.साइबर अपराध से बचने के सुझाव

5.2.महिला साइबर अपराध निवारण हेतु कानून

उपसंहार-

संदर्भ-सूची

अहुजा राम, अहुजा मुकेश (2013). विवेचनात्मक अपराधशास्त्र. रावत पब्लिकेशन्स: नई दिल्ली.

कालरा डॉ. विनोद. (2015). स्त्री सशक्तीकरण विविध परिप्रेक्ष्य. तेज़ प्रकाशन: नई दिल्ली.

कुमार राकेश. (2009). इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं साइबर पत्रकारिता. श्री नटराज प्रकाशन: नई दिल्ली.

गर्ग. डॉ. एच. एस. (2013). साइबर अपराध. सर्व शिक्षा पुस्तक उद्योग: दिल्ली.

गुप्ता कमलेश कुमार (2005). भारतीय महिलाएं, शोषण, उत्पीड़न, अधिकार. बुक एनक्लेव: जयपुर.

गौंड संजय (2006). आधुनिक महिला और समाज. बुक एनक्लेव: जयपुर.

चड्डा प्रियंका, सोनिया (2016). साइबर क्राइम एंड लॉ. गलगोटिया पब्लिशिंग कंपनी: नई दिल्ली.

चतुर्वेदी जगदीश्वर. (2004). डिजिटल युग में मासकल्चर और विज्ञापन. आनंद प्रकाशन: नई दिल्ली.

चतुर्वेदी जगदीश्वर. (2007). कामुकता पोर्नोग्राफी और स्त्रीवाद. आनंद प्रकाशन: कलकत्ता.

पाण्डेय डॉ. गणेश. (2004). अपराध शास्त्र. राधा पब्लिकेशन्स: नई दिल्ली.

पचौरी सुधीर. (2012). स्त्री देह के विमर्श. राधा कृष्ण प्रकाशन: नई दिल्ली.

मदन सुशीला. (2016). साइबर क्राइम एंड लॉ. एम के एम पब्लिसर: नई दिल्ली.

मिश्र डॉ जयप्रकाश. (2014). साइबर विधि एक परिचय. सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स: इलाहाबाद.

मिश्र डॉ राजेन्द्र. (2009). मीडिया मंथन. नई दिल्ली: तक्षशिला प्रकाशन.

वंसल डोली.(2016). इंटनेट का इस्तेमाल करने वाली लगभग तीन-चौथाई महिलाएं किसी न किसी किस्म की साइबर हिंसा का शिकार हैं.

वर्मा परिपूर्णानन्द. (1988). अपराध के नए आयाम तथा पुलिस की समस्याएँ. विश्व विद्यालय प्रकाशन: वाराणसी उत्तरप्रदेश.

शर्मा प्रज्ञा (2006). महिलाओं के प्रति अपराध. पॉइंटर पब्लिशर्स: जयपुर.

शुक्ला प्रो.आशा., सक्सेना डॉ. संगीता (2013). स्त्री निर्मिति कथा साहित्य में महिला उत्पीड़न. बरकतउल्ला, विश्वविद्यालय प्रकाशन: भोपाल.

शेण्डे डॉ. हरिरामजी सुदर्शन. (2011). अपराध के नए प्रतिमान समस्या और समाधान. ग्रंथ विकास शिल्पी: जयपुर.

सं. गिरिराजशरण (1986). स्त्री उत्पीड़न की कहानियाँ. प्रभात प्रकाशन: दिल्ली.

सिंह मीनाक्षी, निशांत. (2010). आधुनिकता और महिला उत्पीड़न. ओमेगा पब्लिकेशन्स: नई दिल्ली.

सिंह वी॰एन॰. (2013). नारीवाद. रावत पब्लिकशन. नई दिल्ली.

सुधीर पचौरी. (2009). नया मीडिया और नये मुद्दे. वाणी प्रकाशन: नई दिल्ली.

सेतीया सुभाष. (2008). स्त्री अस्मिता एक प्रश्न. कल्याणी शिक्षा परिषद: नई दिल्ली.

त्रिपाठी प्रो.मधुसूदन. (2010). महिला विकास एक मूल्यांकन. ओमेगा पब्लिकेशन्स: नई दिल्ली.

त्रिपाठी प्रो. मधुसूदन. (2010). महिला विकास एक मूल्यांकन. ओमेगा पब्लिकेशन्स: नई दिल्ली.

त्रिवेदी डॉ. सुशीला. (2012). सोसल मीडिया. एकता प्रकाशन: नई दिल्ली.

हलदार देवरती. (2016). साइबर क्राइम अगेन्स्ट वुमेन इन इंडिया. सेज पब्लिकेशन्स: दिल्ली.

कौशिक डॉ.नीरज, अग्रवाल निधि. (2014). साइबर क्राइम्स अगेन्सट वुमेन.
योजना (सं. रेमी कुमारी). अंक 5, वर्ष 58. मई, 2013. योजना भवन, संसद मार्ग: नई दिल्ली.
कुरुक्षेत्र (सं. ललिता खुराना). अंक 8 वर्ष 62. जून, 2016. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार: नई दिल्ली.
सम-सामयिक घटना चक्र (दीपक द्विवेदी). वार्षिकांक, 2015. एलनगंज, इलाहाबाद: उ. प्र.
सरिता,"साइबर कानून एवं अपराध" http://www.sarita.in/law/cyber-law-and-crime
उन्मुक्त, अंतरजाल की मायानगरी, हिन्दी चिट्ठाकार, "साइबर कानून और साइबर अपराध"
https://unmukth.wordpress.com/2013/08/11/cyber-law-crime/
वंसीवार, डोली, (14 जुलाई 2016)"सोसल मीडिया पर तीन चौथाई महिला शिकार है" ichowk,indai today group online opinion platform
सोनभद्र एक्स्प्रेस "महिलाओं को आसान शिकार मानते हैं साइबर अपराधी, जागरूकता है जवाब, :
http://www.dainiksonbhadra.com/Technology-tech-guide-cyber-criminal-treats-women-as-easy-prey-answer-is-awareness.html
Cyberstalking(2011)"Cybertalking:Agrowingproblem"
http://womenlawproject.worldpress.com/2011/06/13/cyberstalking-a-growing-problum/
Duggal,p "cyber crime" http://cyberlaws.net/cyberindia/cybercrime.html
"EmailHarasmentinBussiness"http;//www.icsworld.com/private case studies/email harassment in business.aspx
Grzybowski,K(2012)"AnexaminationofcybercrimeandcybercrimeResearch:Selfcontrolandroutine activityTheory"http://barrettdowntown.asu.edu./w
Harvay,D"cyberstalkingand internet harassment:what the law can do"
http://www.netsaff.org.nz/Doclibrary/netsafepaperdavidharvaycyberstalking.pdf
Kumar,M(2010)"cyberstalking:onlineharassmentoronlinneabuse"
http://www.cyberarmy.am/2010/12/cyber-stalking-online-harassment-or.html
Kumar T&, Jha,R (2012) "cyber crime their solution" international Journal of engineering And computer science ISSN:2319-7242 volume 1 issue 1 oct 2012 page no.48-52
http://ijecs.im/ijecsissue/wp-content/uploads/2012/12/48-52..pdf
Saini, H & Rao, S (2012) "cyber crime and their Impact:A Review"international journal of engineering research and application (IJERA) VOL.2, Issue 2,march-april 2012 pp.202-209
http://www.ijera.com/paper/vol12issue2/ag22202209
Halder devrati. (2016). cyber crime against women in india. sage publication
Halder devrati. (2011). cyber crime and victimization of women law: Right and regulation. sage publicatin.